न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **5/2020**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1. श्रीकिशन पुत्र छोगा गुर्जर निवासी अमरतिया तह0 हुरडा
2. परसराम पुत्र छोगा गुर्जर निवासी अमरतिया तह0 हुरडा
3. उगमा पुत्र छोगा गुर्जर निवासी अमरतिया तह0 हुरडा

– प्रार्थीगण

बनाम

1–2 माधू, सेवा पुत्र भीया गुर्जर निवासी रामपुरा प0 हल्का खामोर
3 गोपाल पुत्र सरवण गुर्जर निवासी रामपुरा प0 हल्का खामोर
4–6 दल्लीचन्द, हरजी, रामलाल पुत्र सोजी गुर्जर निवासी रामपुरा प0 हल्का खामोर
7 रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल गुर्जर निवासी अमरतिया तह0 हुरडा
8 प्रभु पुत्र श्री चन्द गुर्जर निवासी अमरतिया तह0 हुरडा
9 देवकरण पुत्र सोजी गुर्जर निवासी अमरतिया तह0 हुरडा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री कैलाशचन्द्र पाराशर**
अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **05/10/2020**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम **रामपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 407 रकबा 0.45, 413 रकबा 0.36, 414 रकबा 0.37, 415 रकबा 0.32, 417 रकबा 0.02, 418 रकबा 0.06, 420 रकबा** 0.33, **421 रकबा 0.47, 422 रकबा 0.22, 423 रकबा 0.41, 424 रकबा 0.29, 425 रकबा 0.16, 426 रकबा** 0.**21, 427 रकबा 0.44, 428 रकबा 0.24, 429 रकबा 0.04, 434 रकबा 0.36, 435 रकबा** 0.92, कुल **किता 19** रकबा **5.68 हैक्टेयर** हैक्टेयर का प्रार्थीगण खातेदार /संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम रामपुरा संवत** 2074 से **2077** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण खातेदार/ संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **रामपुरा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 417 रकबा 0.02 गे0मु0 पाल एवं 429 रकबा** 0.04 **है0 गे0मु0 नाला को छोड़कर शेष किता 17 रकबा 5.62 हैक्टेयर हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस **1150/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **05/10/2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shilpa Singh
Date: 2021.01.21 16:53:32 IST
Reason: SelfAttested

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर